

राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर ।

=====

क्रमांक:- पा. ॥ कार्मिक/अस्पताल/99/ 2482

दिनांक:- 26/10/99

कार्यालय आदेश


राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये जीवन ज्योति हास्पिटल ब्रांच भण्डारी हास्पिटल, एस्.पी.6, सांगानेर, रीको इन्डस्ट्रीय एरिया, मानसरोवर अग्रवाल फार्म के पास जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है:-

विशेष शर्तें:-

=====


- 11] हास्पिटल में आन्तरिक रोगी के रूप में भर्ती होने पर कुल देय राशि में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।
- 12] बर्हिगम रोगी ओपीडी की जांच पर 20 प्रतिशत छूट देय होगी ।
- 13] इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मण्डल द्वारा अन्य प्राईवेट हास्पिटलों पर लागू है, इन पर भी लागू होगी ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है ।


सचिव 26/10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 11] निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रै.आ.मं. जयपुर ।
- 12] वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी/अति. मुख्य अभियन्ता.....
- 13] उप आवासन आयुक्त वृत्त...../आवासीय अभियन्ता, खंड.....
- 14] लेखाधिकारी वित्त/भुगतान राज0 आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 15] समस्त अधिकारी /समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय,
- 16] प्रबन्ध निदेशक, जीवन ज्योति हास्पिटल एस्.पी.6, सांगानेर रीको इन्डस्ट्रीय एरिया, मानसरोवर अग्रवाल फार्म के पास जयपुर
- 17] रक्षितपत्रावली/ नोटिस बोर्ड ।


सचिव 26/10
9/08